Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College - R.M.M. Law College, Saharsa.
L.L.B. Part-III : B.T. Act - (IV) rth Paper)

Q.1- What do you understand by Proprietor and Landlord? Distinguish between Proprietor and Landlord.
(स्वामी एवं भूस्वामी से आप क्या समझते हैं? स्वामी एवं भूस्वामी में अन्तर स्पष्ट करें।

Ans:- Proprietor का शाब्दिक अर्थ स्वामी होता है। स्वामी (Proprietor) का तात्पर्य उस व्यक्ति से होता जो किसी इस्टेट (Estate) का मालिक होता है, जिसका नाम कलक्टर के सामान्य रजिस्टर में, चाहे वह मालगुजारी अदा करने वाली भूमि का हो या मालगुजारी से मुक्त भूमि का हो, स्वामी (Proprietor) के रूप में दर्ज रहता है। सामान्य भाषा में यह कहा जा सकता है कि कृषि भूमि से सम्बन्धित कलक्टर के मालगुजारी वाले रजिस्टर में या मालगुजारी से मुक्त वाले रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम अंकित रहता है, वह व्यक्ति उस कृषि भूमि (Estate) का मालिक अर्थात Proprietor कहलाता है।

भू-स्वामी (Landlord) - बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा- 3(4) के अन्तर्गत भू- स्वामी की परिभाषा दी गयी है कि भू-स्वामी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके अधीन कोई कृषक (tenant) भूमि धारण करता है और इसके अन्तर्गत - सरकार भी शामिल

परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने अधीन किसी कृषि के लिए भूमि देता है तो वह व्यक्ति उस कृषक के लिए भूस्वामी कहलायेगा।

अत: एक रैयत भी भू- स्वामी हो सकता है, जब वह उस भूमि को दर रैयत को कृषि के लिए देता है।

स्वामी तथा भू-स्वामी में अन्तर (Distinguish between Proprietor and landlord) —

Proprietor एवं Landlord के उपरोक्त वर्णित अर्थों को देखते हुए, दोनों के बीच निम्न अन्तर दिखाई पड़ता है! —

(1) स्वामी (Proprietor) उस व्यक्ति को कहते हैं, जो इस्टेट (Estate) का मालिक अर्थात हो।
भू- स्वामी (Landlord) किसी इस्टेट (Estate) का स्वामी नहीं होता है।

(2) स्वामी (Proprietor) अपने अधीन तुरन्त कोई रैयत

Pt. Lec.- Keshav Kumar Shrivastava
College – R.M.M. Law College, Saharsa.
L.L.B. Part-III : B.T. Act : (IV)rth Paper

धारण नहीं करता है।
भू-स्वामी अपने अधीन तुरन्त कोई रैयत करता है।
(3) स्वामी (Proprietor) रैयत नहीं हो सकता है।
एक रैयत भू-स्वामी (Land lord) कहलाता है, जब वह अपनी भूमि को कृषि के लिए रैयत को देता है। बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत यह स्वयंसिद्ध है।

(4) स्वामी (Proprietor) के अन्तर्गत सरकार शामिल नहीं है।
भू-स्वामी (Land lord) अन्तर्गत सरकार भी शामिल हो सकता है।
इस प्रकार स्वामी (Proprietor) तथा भू-स्वामी (Land lord) दोनों में समानता दिखाई पड़ती है, परन्तु दोनों ही अलग-अलग तस्वीर पेश करते है जबकि दोनों का विश्लेषण किया जाय।

—:—

Q- Short notes on the Estate.
जायदाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।

Ans— बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत जायदाद (Estate) से तात्पर्य कृषि भूमि से है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर कृषि से सम्बन्धित एक सामान्य रजिस्टर तैयार करता है— जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि – कौन सी भूमि का मालगुजारी वसूल करना तथा किस भूमि को मालगुजारी से मुक्त रखा जाय, इसकी जानकारी क्रमशः प्रविष्टि (Serial entry) के अन्तर्गत वर्णित होता है। इस प्रत्येक प्रविष्टि को जायदाद (Estate) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत खास महाल की भूमि भी शामिल है तथा ऐसी भूमि जिसका जिक्र रजिस्टर में नहीं है।

—:—

Scanned with CamScanner